



प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता बजट (क) वर्ग,

लोक निर्माण विभाग,

50प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 19 फरवरी, 2026

विषय- मा0 न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, आजमगढ में दाखिल वाद संख्या-322/2017 हरिलाल निषाद एवं कौशिल्या देवी पत्नी हरीलाल निषाद (मृतक) बनाम अधिशासी अभियन्ता, वि0/याँ0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर एवं अन्य पारित आदेश दिनांक 29.08.2025 के अनुपालन में डिक््रीटल मद के अन्तर्गत धनावंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), बजट (क) वर्ग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-11041बी0जी0/209बी0(65)/2025-26, दिनांक 29.01.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, आजमगढ में दाखिल वाद संख्या-322/2017 हरिलाल निषाद एवं कौशिल्या देवी पत्नी हरीलाल निषाद (मृतक) बनाम अधिशासी अभियन्ता, वि0/याँ0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.08.2025 के अनुपालन में धनराशि रू0 13,23,993/- (तेरह लाख तेईस हजार नौ सौ तिरानवे मात्र) का आवंटन डिक््रीटल मद से किये जाने की एतद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

- (1) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, वि0/याँ0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर द्वारा अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है एवं वास्तविक भुगतान की तिथि तक ही गणना करके नियमानुसार देय धनराशि का भुगतान किया जाये।
- (2) इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 13,23,993/- (तेरह लाख तेईस हजार नौ सौ तिरानवे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

058 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

- (3) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभिषेक गंगवार)

अनु सचिव।

संख्या-14/2026/आई/1245504/001-23-7-2026-23-7099-9-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोरखपुर।
- 6- मुख्य अभियन्ता (मु०-1/2), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (वि०/या०), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- अधीक्षण अभियन्ता, (वि०/या०) वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
- 9- अधिशासी अभियन्ता, (वि०/या०), लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ०प्र० शासन।
- 11- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ०प्र० शासन।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभिषेक गंगवार)

अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।